

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. †3393**

TO BE ANSWERED ON THE 01ST JANUARY, 2019/ PAUSHA 11, 1940 (SAKA)

WORKING IN REGIONAL LANGUAGE

†3393. SHRI PRATAPRAO JADHAV:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Government has taken/proposes to take any steps for making arrangements for working in the regional language in the departments and offices of Central Government as well as in undertakings and banks in such States where the same has accorded sanction to its regional language;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

ANSWER

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI KIREN RIJIJU)**

(a): No, Madam.

(b): Does not arise.

(c): As per Article 343 of the Constitution, the Official Language of the Union shall be Hindi in Devnagari script. The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals.

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3393

दिनांक 01.01.2019/11 पौष, 1940 (शक) को उत्तर के लिए

क्षेत्रीय भाषाओं में कामकाज

3393. श्री प्रतापराव जाधव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केंद्र सरकार द्वारा जिन राज्यों में क्षेत्रीय भाषा को मान्यता दी गई है, वहां पर केंद्र सरकार के विभागों और कार्यालयों के साथ-साथ सरकारी बैंकों में क्षेत्रीय भाषा में कार्य करने की व्यवस्था करने हेतु सरकार ने क्या कोई कदम उठाया है/उठाने का प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरिन रिजिजू)

(क): जी, नहीं ।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ

के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
